


कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
 जन स्वास्थ्य विभाग
एन.आई.टी.

कार्य का नाम :— आवारा कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण करने बाबत्।

क्रं.	कार्य का नाम	कुत्तों की संख्या	दर प्रति नग अंको में	दर प्रति नग शब्दों में	कुल राशि
1.	आवारा कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण करने बाबत्।	1650			
कुल राशि रु.					


 कार्यपालन अभियंता
 नगर पालिक निगम
 भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
आवारा कुत्तों के बधियाकरण एवं टीकाकरण कार्य हेतु निविदा
की नियम एवं शर्तें

1. नगर पालिक निगम भिलाई सीमा क्षेत्रान्तर्गत के अंदर पाये जाने वाले लावारिस कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण (ऑपरेशन) करना होगा।
2. निविदाकार संस्था को पशु कल्याण एवं पशु संरक्षण कार्य करने के रूप में शासन द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन विधिवत संस्था के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। संस्था को पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. श्रम एवं पशु कल्याण बोर्ड के नियम एवं शर्तों का पालन करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी परिस्थिति में नगर निगम पार्टी नहीं होगी।
4. निविदाकार संस्था को भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India) द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। निविदा दस्तावेजों के साथ भारतीय जीव जंतु कल्याण बार्ड का मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार संस्था को किसी भी स्थानीय निकाय के अंतर्गत नगर निगम परिषेत्र में आवारा कुत्तों के बधियाकरण एवं टीकाकरण कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव एवं कम से कम 2,000 आवारा कुत्तों के बधियाकरण एवं टीकाकरण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें बधियाकरण एवं टीकाकरण किये गये कुत्तों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकार संस्था को 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
7. निविदाकार संस्था को पेन कार्ड की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार संस्था को अपने संसाधनों से नगर पालिक निगम भिलाई सीमा क्षेत्र में निगम द्वारा निर्देशित स्थानों / क्षेत्रों / वार्डों से प्रतिदिन आवारा कुत्तों को मानव विधि द्वारा पकड़वाकर उनका शल्य किया द्वारा बधियाकरण कर उनका एन्टीरेबीज टीकाकरण करना होगा।
9. बधियाकृत किये गये श्वानों के कान में अंग्रेजी के व्ही (V) आकार का पहचान चिन्ह बनाना अनिवार्य होगा।
10. कुत्तों की धरपकड़ उपरांत उनके बधियाकरण / शल्य किया व उनके देखभाल (Post Operative Care) हेतु भवन नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
11. शल्य किया पश्चात कुत्तों को दवायें एवं भोजन देकर 3 दिवस तक देखभाल करने के उपरांत पुनः पकड़े गये क्षेत्र में छोड़ना होगा। कुत्तों को 3 दिवस तक रखने हेतु पिंजरों की व्यवस्था निविदाकार संस्था द्वारा की जावेगी।
12. आवारा कुत्तों को पकड़ने हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी एवं संसाधन जाली इत्यादि की व्यवस्था एवं उस पर होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
13. आवारा कुत्ता पकड़ने हेतु एक उपयुक्त वाहन, वाहन चालक एवं ईंधन की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी।
14. निविदाकार संस्था को पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम (श्वान) 2001 के प्रावधानों के तहत राज्य पशु चिकित्सा परिषद अंतर्गत पंजीकृत पशु चिकित्सक एवं अनुभवी डॉग केचर कर्मी को नियुक्त करना होगा।
15. ऑपरेशन के उपरांत यदि किसी श्वान का घाव खुला पाया जाता है या संक्रमण पाया जाता है तब ऐसे श्वान को पकड़वाकर उसका ईलाज करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
16. ऑपरेशन के पूर्व या उपरान्त जो पशु चिकित्सा, दवाईयां, ऑपरेशन सामग्री एवं भोजन श्वान को दिया जायेगा वह पर्याप्त उच्च स्तर का हो इसकी जिम्मेदारी भी निविदाकार संस्था की होगी।
17. उक्त बधियाकरण प्रक्रिया के दौरान एवं उपरांत सरबाईबिल रेट 95 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए एवं ऑपरेशन के दौरान यदि किसी श्वान की मृत्यु हो जाती है तो उसका भुगतान नहीं किया जायेगा। मृत श्वान के शव के उपयुक्त विनिष्टिकरण हेतु व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी।

18. निविदाकार संस्था को श्वान के धरपकड़ उनके बधियाकरण एवं टीकाकरण का रिकार्ड दर्ज के हेतु पंजी संधारित करनी होगी।
19. शत्ल्य किया कक्ष एवं परिसर की सफाई, सुरक्षा की जवाबदारी निविदाकार संस्था की होगी।
20. निगम सीमा के समस्त आवारा श्वानों को बधियाकरण करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही काम बंद कर देता है तक ठेकेदार की अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
21. कार्य के दौरान Preveniom of Cruelty To Animals Act 1960 As Amemded By Central Act 26 of 1982 And Notificaatiaon Datrd 25-12-2001 का उल्लंघन न हो व उक्त एकट का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
22. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई या उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की ड्यूटी एवं ऑपरेशन कक्ष, परिसर का निरीक्षण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि से कराये। कार्य असंतोषजनक होने पर या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर 15 दिन का नोटिस देने के पश्चात् ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
23. ठेकेदार पालिक निगम भिलाई से ठेका समाप्त करना चाहता है तब उसे नगर पालिक निगम भिलाई को एक माह पहले नोटिस देना होगा।
24. लेबर एकट / मिनिमम वेजिस एकट (लेबर से सांबंधित) सभी प्रकार के नियम एवं उपनियमों का पालन करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
25. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समस्त शर्तों का विधिवत पूर्णतः समयबद्ध पालन किया जायेगा और किसी भी शर्त का पालन न होने पर अनुबंध की शर्तों को तोड़ना माना जायेगा।
26. शर्तों को तोड़ने की स्थिति में या ठेकेदार निर्धारित अवधि से पहले काम बंद कर देता है, तक नगर पालिक निगम भिलाई बकाया समय के लिए जिस दर पर काम करायेगा और उससे जो भी नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार करेगा।
27. ठेकेदार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यक सामग्री आवश्यकता होगी वह ठेकेदार ही उपलब्ध करायेगा।
28. बधियाकरण में उपयोग आने वाली औजार, दवाईयां, टी.के. चिकित्सक आदि की व्यवस्था निविदाकार को करना होगा।
29. पकड़े गये कुत्तों के खाने-पीने एवं देख-रेख की तथा किसी भी घटना / दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
30. निविदा में प्रति कुत्ता का दर सम्पूर्ण व्यय सहित दिया जाना होगा। उक्त दर के अतिरिक्त किसी भी तरह का भुगतान नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नहीं किया जावेगा।
31. कार्य की आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि में वृद्धि अथवा घटाया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा।
32. नियम शर्त के उल्लंघन की दशा में अधिकतम पचास हजार रुपये तक अर्थदण्ड, आयुक्त महोदय के आदेशानुसार दंडित किया जायेगा।
33. न्यूनतम निविदाकार को 100 रुपये के स्टॉम्प में अनुबंध करना अनिवार्य होगा, तदपश्चात् कार्यादेश जारी किया जावेगा।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई